For the Students of C.L. (B.Com)

साझेदारी (Partnership)

सामान्यतः साझेदारी कुछ विशेष लोगों का समूह होता है, इनमें से कोई लाभ कमाने की कला में दक्ष होता है तो कोई धन-कुबेर होता है तो कोई व्यवहार कुशल होता है तो, कोई प्रबंधकला में ~~निपुण होता है~~ निपुण होता है। अर्थात् साझेदारी विशेषगुणों वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक मंच पर इकट्ठे होते हैं। साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में इस प्रकार दी गयी है – "साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, जिन्होंने ऐसी एक कारोबार से हुए लाभ को बाँटने का ठहराव किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो" वे ~~सब~~ सभी व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे से साझेदारी की है, व्यक्तिगत रूप से 'साझेदार' और सामूहिक रूप से 'फर्म' कहलाते हैं। वह नाम जिससे उनका कारोबार चलाया जाय 'फर्म का नाम' कहलाता है।

साझेदारी की विशेषताएँ
Characteristics of partnership.

साझेदारी अधिनियम की धारा 4 में दी गयी उपर्युक्त परिभाषा के अध्ययन से साझेदारी की निम्न 5 आधारभूत लक्षण/विशेषताएँ स्पष्ट नजर आती हैं। इनकी विद्यमानता ही साझेदारी की अनिवार्यता है। इन लक्षणों की अनिवार्यता के कारण ही इन्हें साझेदारी के तत्व (Elements of Partnership) भी कहा जाता है। ये मौलिक या आधारभूत लक्षण इस प्रकार हैं –

(1) अनुबंध से उत्पन्न संबंध :– साझेदारी के निर्माण हेतु

यह आवश्यक है कि उनके सदस्यों अर्थात साझेदारों के बीच एक अनुबंध हो। यह अनुबंध स्पष्ट (Expressed) अर्थात लिखित अथवा मौखिक या गर्भित (Implied) हो सकता है। इसमें अनुबंध के वे समस्त गुण विद्यमान होने चाहिए जो कि एक अनुबंध में पाये जाते हैं, जैसे – पक्षकारों/साझेदारों की वैध अनुबंध करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, प्रतिफल, वैधानिक उद्देश्य, अनुबंध की स्पष्टता इत्यादि। अधिनियम की धारा 6 में स्पष्ट उल्लेखित है कि "साझेदारी का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है स्थिति द्वारा नहीं।" चूँकि सम्मिलित हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family) के सदस्यों का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, अतः कानून की दृष्टि में वे साझेदार नहीं माने जाते तथा उनका व्यवसाय साझेदारी का व्यवसाय नहीं होता है।

(2) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना — साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति किसका साझेदार होगा? अधिनियम भी कहता है कि यदि साझेदार की संख्या दिवालिये के कारण या मृत्यु के चलते एक रह जाये तो फर्म स्वतः समाप्त समझा जायेगा। साझेदारी अधिनियम में 'person' शब्द का प्रयोग व्यक्ति (individual) के अर्थ में हुआ है। अतः व्यक्तियों के किसी समूह (जैसे कम्पनी) को 'व्यक्ति' शब्द में नहीं गिना जा सकता है भले ही कानून ने उसे 'person' माना हो। यही कारण है कि एक साझेदारी संस्था किसी दूसरी साझेदारी संस्था में भागीदार नहीं बन सकती है। यह निर्णय संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में भी लागू होता है। एक संयुक्त ~~कम्पनी~~ परिवार भी किसी साझेदारी संस्था में भागीदार नहीं हो सकता है परन्तु इसका कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप भागीदार बन सकता है।

साझेदारी संस्था में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति

होने चाहिए, इस विषय में साझेदारी अधिनियम तो शान्त है, पर भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में 20 से अधिक (बैंक की दशा में 10 से अधिक) व्यक्ति नहीं होने चाहिए और यदि होते हैं तो संस्था अवैध समझी जायेगी।

③ उद्देश्य — व्यवसाय चलाना :- साझेदारी के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय का होना जरूरी है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर कोई ठहराव करते हैं, किन्तु उनके ठहराव का उद्देश्य किसी व्यवसाय को चलाना नहीं है तो, ऐसे ठहराव को हम साझेदारी नहीं कह सकते। उदाहरणार्थ- A एवं B 100 घोड़े खरीद कर आपस में बाँट लें तो, यह सह-स्वामित्व (Co-ownership) कहलायेगा न कि साझेदारी, क्योंकि उनके व्यवहार में कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं है। हाँ, यदि वे दोनों उन घोड़ों को अपने संयुक्त खाते के आधार पर बेचते हैं तो, यह साझेदारी होगी।

④ लाभ-हानि में भाग लेना - साझेदारी का उद्देश्य (a) व्यवसाय को चलाने (b) उससे लाभ कमाने तथा (c) कमाये हुए लाभ को आपस में बाँटना होना चाहिए। इस प्रकार एक धार्मिक संस्था या क्लब के सदस्य साझेदार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके बीच लाभ-हानि को बाँटने का कोई ठहराव नहीं होता।

⑤ सामान्य प्रबंध - साझेदारी में प्रबंध का अधिकार सामान्य होता है। अर्थात् सभी साझेदार मिलकर अथवा उनमें से कोई एक सबकी ओर से फर्म का प्रबंध करता है।

For CL Student — साझेदारी एवं सह-स्वामित्व में अन्तर
(Difference Between partnership and Co-ownership)

निम्नलिखित आधारों पर इन दोनों व्यवसाय संस्थाओं में अन्तर पाये जाते हैं :—

1. अनुबंध — साझेदारी व्यवसाय का जन्म सदैव अनुबंध से होता है, जो लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, जबकि सह-स्वामित्व की स्थापना सदैव अनुबंध से नहीं होती। इसकी स्थापना नियमानुसार अथवा परिस्थिति के कारण भी होती है, जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति उसके पुत्रों को उत्तराधिकार में मिल जाती है, संपत्ति के संयुक्त स्वामी होने के कारण वो सह-स्वामी बन जाते हैं। यद्यपि उन्होंने इस आशय का कोई अनुबंध नहीं किया है।

2. सदस्यों की संख्या — साझेदारी की दशा में सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या निर्धारित है एवं उसका उल्लंघन होने पर साझेदारी ही समाप्त हो जाती है। जबकि सह-स्वामित्व की दशा में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।

3. उद्देश्य — साझेदारी का आधारभूत उद्देश्य व्यवसाय करना एवं व्यवसाय से अर्जित लाभ को आपस में बांटना होता है। सह-स्वामित्व की दशा में यह आवश्यक नहीं होता।

(4) प्रतिनिधि — प्रत्येक साझेदार साझेदारों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। सह-स्वामित्व में एक सहस्वामी दूसरे सह-स्वामी का एजेन्ट हो जरूरी नहीं है।

(5) विशेषाधिकार — प्रत्येक साझेदार को साझेदारी की संपत्ति पर विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जबकि एक सहस्वामी को संयुक्त ~~संपत्ति~~ संपत्ति पर कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त रहता

6. **हित का हस्तांतरण एवं विक्रय** – एक साझेदार अपना हित अन्य किसी को ~~बगैर~~ अन्य साझेदारों की सहमति के बगैर न तो बेच सकता है और नहीं हस्तांतरित कर सकता है जबकि एक सह-स्वामी अपनी इच्छा पर दूसरे सह-~~स्वामी~~ स्वामियों की अनुमति के बगैर भी अपना हित बेच या हस्तांतरित कर सकता है।

7. **हित-स्वीकार** – एक साझेदार अपना हित वस्तु में के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता जबकि एक सह-स्वामी अपना हित ~~वस्तु~~ वस्तु में स्वीकार कर सकता है।